न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर
जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 126/2017
वाद– अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. श्रीमती रजनी पुत्री स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द सिंधी निवासी पोटला तहसील सहाड़ा हाल 5–ग–6, हिरण मंगरी सेक्टर 11, रामसिंह जी की बाड़ी, उदयपरु जिला उदयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, महोदय, भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा।

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः– श्री मनोहर लाल बापना
प्रतिवादीगण :–पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक 20.03.2020

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया के दादा स्व. मियामल आत्मज सरदारोमल सिंधी निवासी पोटलां तहसील सहाडा के खातेदार काश्तकार थे प्रमाण में जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत है।

यह कि वादिया के दादा स्व. श्री मियामल जी पुत्र सरदारोमल जी व तुलछामल पिता कल्याणमल जी सिंधी ने ग्राम पोटलां तहसील सहाडा की सांबिक आराजी नम्बर 3754 सैतीस सौ चौपन, 3754/1 सैतीस सौ चौपन बटा एक, 3775/2 सैतीस सौ पीचहत्तर बटा दो, 3736 सैतीस सौ छत्तीस, 3737 सैतीस सौ सैतीस, 3738 सैतीस सौ अडतीस, 3739 सैतीस सौ उनचालीस, 3768 सैतीस सौ अडसठ, 3768/2 सैतीस सौ अडसठ बटा दो तथा 3768/3 सैतीस सौ अडसठ वटा तीन कुल किता 10 दस कुल रकबा 16 सोलह बीधा 19 उन्नीस बिस्वा को दिनांक हिगांक 03/06/1949 तीन जून सन उन्नीस सौ उनपचास को 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये मे श्री किशन पिता लोगचन्द व गजानन्द पिता श्री किशन गोत्र डण्डेल निवासियान–पोटलां से क्रय की, जिसका पंजीयन दिनांक 27.08.1949 सत्ताईस अगस्त उन्नीस सो उनपचास को हुआ।पंजीकृत क्रयपत्र की फोटोप्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि उक्त आराजियात क्रय करने के पश्चात क्रेतागण के नाम पर क्रयशुदा आराजियात दर्ज खाते हो गयी एवं भौतिक रूप से भी क्रेतागण –का आधिपत्य ही चला आ रहा था।

यह कि क्रयपत्र का पूरा प्रतिफल वादिया के दादा का ही लगा था क्योंकि तुलछामल आत्मज कल्याणमल सिंधी वादिया के दादा के यहां नौकरी करते थे। जिससे विश्वास के कारण वादिया के दादा ने अपने नाम के साथ ही तुलछामल का नाम भी विक्रयपत्र में क्रेता के रूप में दर्ज करवा दिया था।

यह कि तुलछामल पिता कल्याणमल सिंधी ने उक्त आराजियात जिसका विवरण वादपत्र की कलम नंम्बर 1 एक में किया गया में से अपने आधे हिस्से की आराजियात का एक वसीयतपत्र वादिया के दादा मियांमल के पक्ष मे दिनांक 30.06.1959 तीस जून उन्नीस सो उनसाठ को निष्पादित करा दिया जिसका पंजीयन दिनांक 13.11.2013 तेरह नम्बर दो हजार तेरह को उपपंजीयक कार्यालय उदयपुर प्रथम के कार्यालय में हो चुका है। वसियतपत्र दिनांक 30.06.1959 तीस जून उन्नीस सो उनसाठ की फोटो प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि तहसील सहाडा के ग्रामों का भू–प्रबन्ध होने पर ग्राम पोटलां की भी भू–प्रबन्ध हुआ जिसमें साबिक आराजियात के हाल आराजी नम्बर 6626 छासठ सो छब्बीस, 6627 छासठ सो सत्ताइस, 6636 छासठ सो छत्तीस 6638 छासठ सो अडतीस, 6639 छासठ सो उनचालिस, 6640 छासठ सो चालीस, 6650 छासठ सो पचास व 6637 छासठ सो सेतीस कुल किता 8 आठ रकबा 3.66 तीन पोईन्ट छासठ हैक्टेयर बने है। मिलान क्षेत्रफल की प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि वादिया ने उक्त नम्बरान की आराजियात को अपने नाम पर राजस्व रेकॉर्ड में विरासत से दर्ज कराने बाबत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भीलवाडा को आवेदन पेश किया, जो आगामी कार्यवाही हेतु तहसीलदार सहाडा मु. गंगापुर के कार्यालय में आया। जहां पर तहसीलदार सहाडा मु. गंगापुर ने प्रकरण संख्या 12/17 बारह सन सत्रह नामान्तरणकरण पर दर्ज किया, तथा तहसीलदार सहाडा ने वादिया व साक्षीगण विशनदास पिता भागचन्द सिंधी, बृजमोहन पिता नन्दासिंह राजपूत निवासी उदयपुर तथा लक्ष्मण पिता खेमचन्द सिंधी निवासी उदयपुर के स–शपथ बयान लेकर दिनांक 30.05.2017 तीस मई दो हजार सत्रह को मियांमल पिता सरदारोमल का 1/2 एक बटा दो [illegible] वाद वर्णित हाल आराजियात का विरासत से वादिया श्रीमती [illegible] लाल सिंधी निवासी उदयपुर के नाम नामान्तरित करने के आदेश [illegible]। आदेश की फोटो प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। जिसकी पालना मे इन्तक[illegible] वादिया के पक्ष मे फैसल हो चुका है और राजस्व रेकार्ड मे भी वादिया का नाम अंकित हो गया है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि प्रतिवादी संख्या 2 दो ने वादवर्णित 1/2 आधे हिस्से की वादिया को खातेदार अपने आदेश दिनांक 30.05.2017 तीस मई दो हजार सत्रह में बना दी, किन्तु शेष आधी भूमि के लिए यह लिख दिया कि तुलछामल पिता कल्याणमल द्वारा दिनांक 03.11.1949 तीन नवम्बर उन्नीस सो उनपचास को मियामल को विक्रय कर दिये जाने के बाद दिनांक 30.06.1959 तीस जून उन्नीस सो उनसाठ को वसीयत किया जाना प्रभावहीन है। विक्रयपत्र अन रजिस्टर्ड होने से इस अनुसार कार्यवाही किया जाना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। विरासत नामान्तरणकरण प्रक्रिया को अपडेट करने हेतु उचित प्रतीत होता है।

यह कि तथाकथित विक्रयपत्र 100/–रूपये से अधिक का अनरजिस्टर्ड होने से वैसे भी कानूनन खातेदारी प्रदत्त नहीं किये जा सकते एवं न वादिया तथा कथित विक्रयपत्र दिनांक 03.11.1949 तीन नवम्बर उन्नीस सो उनपचास के आधार पर घोषणात्मक डिक्री खातेदार होने बाबत चाहती है, वह तो उसके दादा स्व. श्री मियामल के पक्ष में आधे हिस्से केखातेदार स्व. तुलछामल पिता कल्याणमल द्वारा पंजीकृत वसायत नाम 30.06.1959 तीस जून उन्नीस सो उनसाठ के आधार पर खातदारी अधिकार की घोषणा कराने हेतु दावेदार है। पंजीकृत वसीयत की फोटो प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

यह कि वसियतकर्ता तुलछामल पिता कल्याणमल खत्री (सिंधी) का दिनाक 06.08.1967 छह अगस्त उन्नीस सा सनसठ को उदयपुर में इंतकाल हो गया जिससे वसियतकर्ता द्वारा की गई वसीयत प्रभावशाली हो गई और वसीयत के आधार पर वसीयतधारी मियांमल पिता सरदारोमल वसीयत के जरिये मालिक हो गया वसीयतधारी मियांमल का दिनांक 01.03.1973 एक मार्च उन्नीस सो तयोत्तर को उज्जेन में इंतकाल हो गया, जिससे उसके पुत्र किशनचन्द उर्फ किशनदास आत्मज मियांमल विरासत मियांमल से खातेदार हो गया। वादिया के पिता किशनचन्द उर्फ किशनदास आत्मज मियांमल का भी दिनांक 02.12.2008 दो दिसम्बर दो हजार आठ को उदयपुर में निधन हो गया, जिसकी एक मात्र पुत्री वादिया ही है।

यह कि वादिया ने किशनचन्द्र उर्फ किशनदास सिंधी निवासी उदयपुर की एक मात्र वारिस हाने बाबत जिला न्यायालय [illegible] धारा 372 तीन सौ बहत्तर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 उन्नीस सौ पच्चीस के तहत आवेदन किया, जो प्रकरण संख्या 112/2012 एक सौ बारह [illegible] 2012 मु0 दिनांक पर दर्ज होकर वाद कार्यवाही दिनांक 18.11.2013 अठारह नवम्बर दो हजार तेरह को वादिया के पक्ष मे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी हुआ जिसकी फोटोप्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

यह कि उक्त प्रकार से वादिया स्व. किशनचन्द उर्फ किशनदास वल्द मियांमल की एकमात्र वारिस होने से तथा मियामल पिता सरदारोमल वसीयतधारी होने से वसीयतकर्ता व वसीयतधारी तथा वसीयतधारी के पुत्र किशनचन्द उर्फ किशनदास आत्मज मियांमल का भी देहावसान हो जाने से वसियत में वर्णित आधी कृषि साबिक आराजियात जिसका विवरण वादपत्र की कलम नं. 1 एक में एवं हाल नम्बरान का विवरण वादपत्र की कलम न.6 छह में किया गया है, की खातेदार काश्तकार होने की घोषणा कराने की अधिकारिणी है।

यह कि वादिया ने तुलछामल पिता कल्याणमल सिंधी के खाते की आराजियात को विक्रयपत्र एवं वसीयत पत्र के आधार पर स्वयं के नाम पर खाते में दर्ज कराने बाबत जिला कलेक्टर महोदय भीलवाडा एवं तहसीलदार सहाडा को कई प्रार्थनापत्र दिये एवं अन्त में मार्फत अधिवक्ता के दिनांक 19.07.2017 उन्नीस जुलाई दो हजार सत्रह को धारा 80 अस्सी जा. दी. का नोटिस प्रेषित कराया, किन्तु अवधि गुजर जाने के बाद भी वादिया को खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जिससे वादिया को यह वादपत्र प्रस्तुत करना पड रहा है।

वादिया ने प्रार्थना की है कि बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा खातेदारी अधिकार की डिक्री इस आशय की जारी कराई जावे कि ग्राम पोटलां तहसील सहाडा की हाल कृषि आराजियात सं. 6626 छासठ सो छब्बीस, 6627 छासठ सो सताईस, 6636 छासठ सौ छतीस, 6638 छासठ सौ अडतीस, 6639 छासठ सो उनचालीस, 6640 छासठ सौ चालीस, 6650 छासठ सौ पचास, 6637 छासठ सौ सेतीस कुल किता 8 आठ रकबा 3.66 तीन पोईन्ट छासठ हैक्टेयर लगानी 42.47 बियालिस रूपया सेंचास पैसा के 1/2 आधे हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं वर्तमान खाते से तुलछामल पिता कल्याणमल सिंधी का नाम विलोपित कराया जाकर सम्पूर्ण खाता वादिया के नाम दर्ज कराया जाने की डिक्री प्रतिपादित फरमाई जावे।

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. का इस न्यायालय में दिनांक 24.10.2017 को पंजिबद्ध किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर प्रस्तुत वाद प्रकरण मे संलग्न रेकार्ड दस्तावेज के वादी स्वयं सिद्ध करें एवं प्रकरण न्यायिक प्रकरण के अधीन है न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा के प्रकरण संख्या 12/2017 को मध्य नजर फरमाते हुए कार्यवाही संभावित बताई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र में निम्नानुसार तनकी कायम की गईः—

1. आया ग्राम पोटला तहसील सहाडा की साबिक आराजी नम्बर 3754,3754/1, 3775/2, 3736, 3737, 3738, 3739, 3768, 3768/2, 3768/3, कुल किता 10 कुल रकबा 16 बीघा 19 बिस्वा को दिनांक 03/06/1949 को 500/— रूपये में श्री किशन पुत्र लोगचन्द व गजानन्द पुत्र श्री किशन गौत्र डंडेल निवासी—पोटलां से मियामल पुत्र सरदारोमल वतुलछामल पुत्र कल्याणमल सिंधी ने क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। .... **जिम्मे वादिया**

2 आया क्रयपत्र का पूरा प्रतिफल वादिया के दादा स्व. मियामल जी का ही लगा, जिससे तुलछामल ने अपने आधे हिस्से को दिनांक 30/06/1959 को मियामल के पक्ष मे वसियत कर दी जिसका पंजीयन दिनाक 13/11/2013 को हुआ। ..... **जिम्मे वादिया**

3. आया पोटलां की नई पेमाईश होने पर साबिक आराजियात के नवीन नम्बर6626, 6627, 6636, 6638, 6639, 6640, 6650, 6637 कुल किता 8 रकबा 3.66 हे0 बने ..... **जिम्मे वादिया**

4. आया वादिया ने उक्त नम्बरान की आराजियात को अपने खाते दर्ज करानेबावत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाड़ा को आवेदन किया जिसे तहसील सहाड़ा में भिजवाया गया जहां प्रकरण संख्या 12/17 नामान्तरणकरण दर्ज कर वाद साक्षी दिनांक 30/06/2017 को मियामल पुत्र सरदारोमल का 1/2 हिस्सा विरासत से वादिया के नाम पर नामान्तरित करने का आदेश पारित किया जिसकी पालना मे वादवर्णित आराजियात का आधा हिस्सा वादिया के नाम दर्ज हो गया। ..... **जिम्मे वादिया**

5. आया क्रेता खातेदार तुलछामल पुत्र कल्याणमल ने दिनांक 30/06/1959को मियामल के पक्ष मे वसियत निष्पादित कर दी व वसियतकर्ता तुलछामल पुत्र कल्याणमल का दिनांक 06/08/1967 को इन्तकाल हो गया जिससे वसियत मियाराम पुत्र सरदारोमल वसियतधारी के जरिये मालिक हो गया व वसियतधारी मियामल पुत्र सरदारोमल का भी दिनांक [illegible]/1973 को इन्तकाल हो गया जिससे उसका पुत्र किशनचन्द उर्फ [illegible] आत्मज मियांमल विरासत मियांमल से खातेदार हो गया तथा किशनचन्द उर्फ किशनदास का भी दिनांक 02/12/2008 को उदयपुर मे निधन हो गया जिसकी एक मात्र पुत्री वादिया है — जिससे वादिया खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारिणी है।

..... **जिम्मे वादिया**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

6. आया वादिया वर्तमान खाते से तुलछामल पुत्र कल्याणमल का नाम विलोपित करा सम्पूर्ण खाते में अपना नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी है।

..... जिम्मे वादिया

7. आया तहसीलदार सहाड़ा के प्रकरण संख्या 12/17 के मध्यनजर प्रकरण खारिज योग्य है।

.........जिम्मे प्रतिवादी

8. दादरसी!

वादीया की साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान P.W-1 रजनी पिता किशनलाल उर्फ किशनचन्द्र सिंधी, P.W-2 बिशनदास पिता भागचन्द सिंधी प्रस्तुत किये गये हैं। ग्राम पोटलां की जमाबन्दी संवत् 2070 ये 2073 प्रदर्श 1 है। मिलान क्षेत्रफल पेश किया जो प्रदर्श 2 है। उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र पेश किया जो प्रदर्श 3 है। मेरे दादा जी के जमीन खरीदी उसकी प्रति पेश की जो प्रदर्श 4 अ है जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 है। पंजीकृत वसीयत जो प्रदर्श 5 है। नक्शा ट्रेस पेश किया जो प्रदर्श 6 है। तहसील सहाड़ा में वादीया के नाम पर नामान्तरणकरण की कार्यवाही चली जो प्रदर्श 7 है। फैसला 12/2017 प्रदर्श 8 है। लगान जमा करवाया प्रदर्श 9 है। दावा से पहले धारा 80 का नोटिस दिया प्रदर्श 10 है। पोस्टल रसीदें प्रदर्श 11 से 13 है। ए0डी0 रसीदे प्रदर्श 14 व 15 है। मृत्यु प्रमाण–पत्र तुलछामल प्रदर्श 16 है। मृत्यु प्रमाण पत्र बृजमोहन प्रदर्श 17 हैं। वसीयत हिन्दु अनुवाद प्रदर्श 18 है। वादीया ने अपनी साक्ष्य में कुल 18 दस्तावेज प्रदर्श कराये।

पत्रावली साक्ष्यप्रतिवादी में दिनांक 07.04.2020 को नियत थी वादीया के अधिवक्ता ने पेशी दिनांक से पूर्व एक प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2020 को पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण अंतिम स्टेज पर है प्रतिवादी पक्ष की शहादत होते ही प्रकरण अंतिम बहस में लगकर बाद बहस निर्णय हो जावेगा। अतः निवेदन हैं कि उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 07.04.2020 के [illegible] नजदीक में ही बक्षाई जावें। वादिया के प्रार्थना पत्र पर पेरोकार [illegible] की जिससे वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया [illegible] आज दिनांक 17.03.2020 को ही रखी गई । पेरोकार सरकार द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

वाद पत्र में वादीया अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वादीया अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृषित किया कि वादी ने अपने वाद पत्र को सिद्ध कराने बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं अतः वाद पत्र में चाही गई रिलीफ के अनुसार वाद पत्र वादी के पक्ष में स्वीकार किया जावें। पैरोकार सरकार ने अपने बहस में बिन्दु संख्या 01 से 19 का उल्लेख में प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें एवं न्यायिक बताया तथा प्रकरण मे संलग्न रेकार्ड दस्तावेज के वादी स्वयं सिद्ध करें एवं प्रकरण न्यायिक प्रकरण के अधीन है न्यायालय तहसीलदार सहाड़ा के प्रकरण संख्या 12/2017 को मध्य नजर फरमाते हुए कार्यवाही संभावित बताई है। तथा गवाह के जिरह में सही बताया व गवाह वक्त दौरान मौजूद होना बताया।

मैनें पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। प्रकरणगें तनकीवार 18 साक्ष्य प्रदर्श करवाये है जो तनकी के बिन्दु संख्या 1 से 6 वादिया के पक्ष में प्रमाणित होते है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 का यह न्यायालय वादीया के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित समझतता है अतएवं–

–: आदेश :–

वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीया को राजस्व ग्राम ग्राम पोटलां तहसील सहाडा की कृषि आराजियात सं. 6626, 6627, 6636, 6638, 6639, 6640, 6650, 6637 कुल किता 8 आठ रकबा 3.66 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान खाते से तुलछामल पिता कल्याणमल सिंधी का नाम विलोपित कराया जाकर वादिया के नाम दर्ज किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

सहायक कलेक्टर
(विकास पचोली)
सहायक कलेक्टर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:24:31 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 126/2017

वाद– अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

शीर्षक

1. श्रीमती रजनी पुत्री स्व0 किशनलाल उर्फ किशनचन्द सिंधी निवासी पोटला तहसील सहाड़ा हाल 5–ग–6, हिरण मंगरी सेक्टर 11, रामसिंह जी की बाड़ी, उदयपरु जिला उदयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, महोदय, भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा।

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीः– श्री मनोहर लाल बापना
प्रतिवादीगण :–पेरोकार सरकार

वाद पत्र बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक 20.03.2020

वादीया की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहर लाल बापना, प्रतिवादी पेरोकार सरकार की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिक्री दी जाती हैं कि ––––×––––– और इस वाद के खर्च लेखे –––––×––––– रूपये की राशी आज तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ––––×––––– प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ––––×––––– द्वारा ––––×––––– को दी जाए।

वादीया का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0ए0 का स्वीकार किया जाता हैं। वादीया को राजस्व ग्राम ग्राम पोटलां तहसील सहाडा की कृषि आराजियात सं. 6626, 6627, 6636, 6638, 6639, 6640, 6650, 6637 कुल किता 8 आठ रकबा 3.66 हैक्टेयर के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वर्तमान खाते से तुलछामल पिता कल्याणमल सिंधी का नाम विलोपित कराया जाकर वादिया के नाम दर्ज किया जावें।

खर्चा फरीकेन अपना – अपना वहन।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:44:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज0)

डिक्री आज दिनांक 20.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज0)